

विधान सभा प्रश्न

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| विभाग का नाम | राजस्व विभाग |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | 1258 |
| उत्तर की तिथि | 18-09-2020 |
| विषय | नौतोड़ |
| प्रश्नकर्ता का नाम | श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) |
| सम्बंधित मन्त्री | जल शक्ति मन्त्री |

प्रश्न

उत्तर

| | |
|---|--|
| <p>यह सत्य है कि वर्ष 2018 में केवल एक ही नौतोड़ केस स्वीकृत हुआ; यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति का नाम व पात्रता के आधार सहित ब्यौरा दें?</p> | <p>जी हाँ। उपायुक्त किन्नौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में श्री करजंग डंडूब पुत्र श्री रसवीर निवासी गाम रारंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर को 0-01-80 है० भूमि बराये मकान तामीर हुआ है। यह नौतोड़ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पूह ने राजस्व एवं वन विभाग के दिशा निर्देशों के विरुद्ध स्वीकृत किया है इसी कारण इस में पट्टा जारी नहीं किया गया है। जिला चम्बा व लाहौल स्पिति में वर्ष 2018 के दौरान कोई भी नौतोड़ भूमि आबंटित नहीं की गई है।</p> |
|---|--|